

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

क्रम संख्या पी सी-6/41

आर बी ई सं.162/2008

सं. पी सी-6/2008/आई/आरएसआरपी/1

नई दिल्ली, दि. 31.10.2008

महाप्रबन्धक/मुख्य प्रशासनिक अधि. (आर)
सभी भारतीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय : रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 – संशोधित वेतनमानों का शिड्यूल।

इस मंत्रालय के पत्रांक पी सी-6/2008/आई/आर एस आर पी/1 दिनांक 11.09.2008 (क्रम संख्या पी सी-6/2) आरबीई सं. 108/2008 द्वारा जारी एवं इस मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 22.09.2008(क्रम संख्या पी सी-6/18) आरबीई सं. 124/2008 द्वारा संशोधित शिड्यूल के संलग्नक 'ख' की निरंतरता में राष्ट्रपति जी ने निर्णय लिया है कि निम्नांकित को दर्शाये गये स्थान पर अंतःस्थापित किया जाये :-

क्रम सं.	पद	वर्तमान वेतनमान (रु.)	संशोधित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन		
			वेतन बैंड का नाम	समकक्ष वेतन बैंड (रु.)	ग्रेड वेतन (रु.)
1	2	3	4	5	6

आवश्यक : कृपया नीचे नोट देखें।

2 यातायात परिवहन:

2.3 वैगन संचलन निरीक्षक:

(i) वैगन संचलन निरीक्षक 6500-10500 पीबी-2 9300-34800 4600

8 मंडार:

8.3 शिपिंग निरीक्षक

(i) मुख्य शिपिंग निरीक्षक 6500-10500 पीबी-2 9300-34800 4600

10 सामान्य:

10.3 सांख्यिकी निरीक्षक :

(i) सांख्यिकी निरीक्षक ग्रेड-1 6500-10500 पीबी-2 9300-34800 4600

14 अ.अ.मा.सं. की विशिष्ट कैटेगरी:

14.5 साइको टैक्नीकल सैल:

(i) वैज्ञानिक सुपरवाइजर ग्रेड-II 6500-10500 पीबी-2 9300-34800 4600

16 कार्मिक :

16.1 स्टाफ एवं कल्याण निरीक्षक :

(i) स्टाफ एवं कल्याण निरीक्षक 6500-10500 पीबी-2 9300-34800 4600

आवश्यक : रेल मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 11.09.2008 के संलग्नक "ख" के अन्त में दिए गए नोट (1) से (4) एवं दिनांक 22.09.2008 के द्वारा अंतःस्थापित नोट (5) को देखें।

नोट :


रेल मंत्रालय के दिनांक 11.9.2008 के समसंख्यक पत्र एवं 22.09.2008 के समसंख्यक पत्र द्वारा संशोधित संलग्नक "ख" के अन्त में दिये गये वर्तमान नोट 1) से 5) के अन्त में निम्नलिखित नोट को नोट 6-8 के रूप में अन्तःस्थापित किया जाये।

6) जैसा कि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, छठे वेतन आयोग की रेलवे में मास्टर क्राफ्टसमैन के संबंध में सिफारिशों को सरकार द्वारा गठित एक फास्ट ट्रैक कमेटी को सौंपा गया है। सरकार के निर्णय आने तक सामान्य प्रतिस्थापन वेतन ढांचा (पीबी-2 ग्रेड वेतन 4200 रु.) लागू रहेगा। इस तरह उपर लिखित कैटेगरी/वर्तमान मास्टर क्राफ्टसमैन(वरिष्ठ टैक्नीशियन), वर्तमान स्थिति के अनुसार ही, कनिष्ठ इंजीनियर के समान वेतन ढांचे में रहते हुए भी एक अलग कैटेगरी के तौर पर रहेगी।

7) वरिष्ठ पी.वे. सुपरवाइजर्स जो वर्तमान वेतनमान 5000-8000 रु. में है रेल मंत्रालय के अगले आदेशों तक सामान्य प्रतिस्थापन वेतन ढांचे (पीबी-2 ग्रेड वेतन 4200 रु.) में एक अलग कैटेगरी के तौर पर रहेंगे।

8) इस मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 11.09.2008 के अनुलग्नक "ख" के क्रम सं. 13 के अनुसार रेल सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशिष्ट बल के स्टाफ के संबंध में संशोधित वेतन संरचना को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। रेल सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशिष्ट बल के आर्टीजन स्टाफ को इस मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 11.09.2008 के अनुलग्नक "क" (पहले शिड्यूल) में दिए गए सामान्य प्रतिस्थापन वेतनमान देय होंगे।

(छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की कुछ कोटियों के बारे में अनुशंसायें अभी निरीक्षणाधीन है। निर्णय होने तक सामान्य प्रतिस्थापन वेतन ढांचा जोकि प्रथम शिड्यूल में दिये गये हैं, लागू होगा।)


(कोशी थॉमस)
संयुक्त निदेशक/वेतन आयोग-11
रेलवे बोर्ड

GOVERNMENT OF INDIA / BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS / RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

S. No. PC-VI/41

RBE No.: 162/2008

No. PC-VI/2008/1/RSRP/1

dated 31-10-2008.

The General Managers/CAO(R),
 All Indian Railways &
 Production Units.
 (As per mailing list)

Sub:- Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 – Schedules for Revised Scales of Pay.

In continuation to Annexure 'B' of Schedule circulated vide Ministry of Railways' letter no. PC-VI/ 2008/1/RSRP/1 dated 11-09-2008 (S.No.PCVI/2 RBE No. 108/2008) as further amended vide this Ministry's letter of even Number dated 22-09-2008 (S.No.PCVI/18 RBE No.124/2008), the President is pleased to decide that the following may be inserted as indicated against each, in the said letters:-

SN	Post	Present Scale (Rs.)	Revised Pay Band & Grade Pay		
			Name of Pay Band	Corresponding Pay Band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)
1	2	3	4	5	6

Important : See Notes below

2 **TRAFFIC TRANSPORTATION:**

2.3 **Wagon Movement Inspector :**

(i)	Wagon Movement Inspector	6500-10500	PB-2	9300-34800	4600
-----	--------------------------	------------	------	------------	------

8 **STORES :**

8.3 **Shipping Inspector:**

(i)	Chief Shipping Inspector	6500-10500	PB-2	9300-34800	4600
-----	--------------------------	------------	------	------------	------

10 **GENERAL :**

10.3 **Statistical Inspectors :**

(i)	Statistical Inspector Gr.-I	6500-10500	PB-2	9300-34800	4600
-----	-----------------------------	------------	------	------------	------

14 **Categories specific to RDSO :**

14.5 **Psycho Technical Cell :**

(i)	Scientific Supervisor Gr.-II	6500-10500	PB-2	9300-34800	4600
-----	------------------------------	------------	------	------------	------

16 **PERSONNEL :**

16.1 **Staff & Welfare Inspectors :**

(i)	Staff & Welfare Inspector	6500-10500	PB-2	9300-34800	4600
-----	---------------------------	------------	------	------------	------

Important: See notes (1) to (4) at the end of Annexure- 'B' to the Ministry of Railways' letter of even number dated 11-09-2008 and note (5) as inserted vide letter of even number dated 22-09-2008.

Notes : The following notes should be inserted as Notes 6) to 8) below existing notes 1) to 5) at the end of annexure 'B' to the Ministry of Railways' letter of even number dt. 11.9.2008 as modified vide letter of even number dt. 22.9.2008 :

6) As decided by the Government, the recommendations of 6th CPC regarding revised pay scale of Master Craftsman (Sr. Technician) in the Railways is to be referred to Fast Track Committee and pending decision of the Government normal replacement pay structure (viz. PB-2; GP Rs. 4200) would apply. Thus above category / existing Master Craftsmen (Sr. Technician) would continue to be separate from that of Jr. Engineers in identical revised pay structure, as per the position already existing.

7) Sr. P. Way Supervisors in existing scale Rs. 5000-8000 would continue as a separate category in normal replacement pay structure (PB-2, GP Rs. 4200) till further orders to be issued by the Ministry of Railways.

8) The revised pay structure of combatised RPF/RPSF staff, as recommended by 6th CPC, has already been notified vide S.No.13 of Annexure 'B' of this Ministry's letter of even number dt. 11.9.2008. The Artisan staff of RPF/RPSF will

be allotted normal replacement pay structure as indicated in Annexure A (First Schedule) of Ministry of Railways' letter of even number dt. 11.9.2008.

(Recommendations of the 6th CPC on pay scales for certain other categories are under examination. Pending decision, the normal replacement pay structure as in the First Schedule would apply)



(Koshiy Thomas)
Jt. Director, Pay Commission-II
Railway Board.